कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला – बस्तर (छ0ग0)

विज्ञापन

क्र./366/SS-SE/नियु./स्पे.एजु./2023–24 जगदलपुर, दिनांक 07/08/2023

प्रबंध संचालक, राज्य परियोजना कार्यालय छ.ग. रायपुर के पत्र क्र. 1880/ समग्र शिक्षा/माध्य./24–14/2023–24 रायपुर दिनांक 14.07.2023 में दिये गये निर्देशानुसार विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के अस्थाई पदों की एक निश्चित एवं एकमुश्त मानदेय 20,000/– (अक्षरी बीस हजार रू0 मात्र) पर नियुक्ति हेतु योग्यता धारी आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, इच्छुक अभ्यर्थी जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0), हाता ग्राऊन्ड रेन्बो होटल गली के पास में दिनांक 21/08/2023 को सायं 5:00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में साधारण डाक/कुरियर/पंजीकृत स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। भर्ती हेतु रिक्त पदों का विवरण एवं पदवार आरक्षण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ग	मुक्त	महिला	निशक्त	योग
01	अनुसूचित जाति	–	–	–	–
02	अनुसूचित जन जाति	02	01	01	04
03	अन्य पिछड़ा वर्ग	01	–	–	01
04	अनारक्षित	02	–	–	02
	योग :–	05	01	01	07

वेतन विवरण/शैक्षणिक अहर्तायें का विवरण निम्नानुसार है :–

पद का नाम	पद संख्या	निर्धारित मानदेय	अनिवार्य न्यूनतम योग्यता
स्पेशल एजुकेटर	07	20000/– एकमुश्त व अन्य भत्ते की पात्रता नहीं।	स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में

नियम एवं शर्तें :–

1. उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 03 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा। एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी, निर्धारित अवधि (03 माह) के पश्चात् संबंधितों की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जोयगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा। ?
2. अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
3. चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामलें में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
4. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।

5. चयनित उम्मीदवार का अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्त्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
6. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
7. विज्ञापन तिथि के पूर्व अर्जित की गई शैक्षणिक योग्यता ही मान्य किये जायेगें।
8. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ जारी निर्धारित प्रारूप में ही मान्य किये जायेगें।
9. आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रमाण पत्रों की छाया प्रति स्पष्ट होनी चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किये जायेगें।
10. आवेदक की आयु 01 जनवरी 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना 01 जनवरी 2023 की स्थिति में की जायेगी आयु की पुष्टि हेतु उचित प्रमाण–पत्र (कक्षा 10वीं की अंकसूची) संलग्न करना अनिवार्य होगा। शासन के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान होगा। छूट प्रमाणीकरण के लिए सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य है।
11. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
12. आवेदक को छ0ग0 का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु आवेदक को सक्षम अधिकारी से जारी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. विज्ञापित पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन हेतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
14. अपूर्ण जानकारी होने पर आवेदन अस्वीकृत माना जावेगा।
15. आवेदन के साथ दो लिफाफा जिसमें 10–10 रू0 के टिकट सहित वर्तमान पता स्पष्ट होना चाहिए।
16. निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप छानबीन उपरांत पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची दावा आपत्ति हेतु जिला परियोजना कार्यालय के सूचना पटल व जिले के वैबसाईट http://bastar.gov.in पत्र उपलब्ध रहेगा।
17. आवेदक को अपने मूल दस्तावेज साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होगें ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र कर दिया जावेगा।
18. चयनित उम्मीदवार के पद ग्रहण नहीं करने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची में से मैरिट अंक के आधार पर चयन किया जायेगा।
19. विज्ञापित पद हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 21/08/2023 को कार्यालयीन समय संध्या 5:00 बजे तक होगी। नियत तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला बस्तर जगदलपुर (छ0ग0), हाता ग्राऊन्ड रेन्बो होटल के सामने, पिन कोड – 494001 पते पर प्रेषित करना होगा।

जिला शिक्षा अधिकारी सह
जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक
जिला – बस्तर (छ0ग0)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला – बस्तर (छ0ग0)

प्रेस विज्ञप्ति

क्र./378 /SS-SE/नियु./स्पे.एजु./2023–24

जगदलपुर, दिनांक 07/08/2023

बस्तर जिले के 07 विकासखण्ड में समावेशी शिक्षा अंतर्गत 1–1 पद स्पेशल एजुकेटर के नवीन पद निश्चित मानदेय रू. 20,000/– पर स्वीकृत किए गए हैं। रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी की गई है। पात्र एवं ईच्छुक आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदक दिनांक 21/08/2023 समय सायं 05:00 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का प्रारूप बस्तर जिले के वेबसाईट https://bastar.gov.in में अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक
जिला – बस्तर (छ0ग0)

पृ. क्र./379 /SS-SE/नियु./स्पे.एजु./2023–24

जगदलपुर, दिनांक 07/08/2023

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा छ0ग0 रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. कलेक्टर जिला बस्तर जगदलुपर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला बस्तर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. छ0ग0 संवाद रायपुर को सूचनार्थ एवं विज्ञापन प्रदेश स्तरीय बहु प्रसारित दो समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु।
5. सहायक संचालकं जन संपर्क जिला बस्तर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने हेतु।
6. डी.आई.ओ. एन,आई.सी. बस्तर को जिले के वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक
जिला – बस्तर (छ0ग0)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक, जिला – बस्तर (छ0ग0)

स्पेशल एजुकेटर पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
सह जिला परियोजना अधिकारी
समग्र शिक्षा, माध्यमिक
जिला – बस्तर (छ0ग0)

स्व प्रमाणित फोटो

आवेदित पद का नाम ....
01. आवेदक का नाम (हिन्दी में ....
(अंग्रेजी में) ....
02. पिता/पति का नाम ....
03. जन्म तिथि (अंको में) ....
(शब्दों में) ....
04. आयु दिनांक 01.01.2023 की स्थिति में ....दिन..............माह...........वर्ष.......
05. रोजगार कार्यालय का नाम, ...
जीवित पंजीयन क्रमांक/दिनांक ....
06. लिंग (पुरूष/महिला/अन्य) ....
07. पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....

08. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता

09. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :–

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10वीं							
2	12वीं							
3	स्नातक							
4	स्नातकोत्तर							
5	बी.एड.विशेष शिक्षा (सामान्य)							
6	विशेष शिक्षा में 02 वर्षीय डिप्लोमा							
7	अन्य							

10. कार्यानुभव (यदि हो तो उल्लेख करें) :–

क्र.	कार्यालय का नाम	पदनाम	कार्यावधि	रिमार्क

आवेदक यदि किसी विभाग/कार्यालय में कार्यरत है तो कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. क्या आपके पास आवेदित पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं हैं :– हॉ/नहीं ....

12. जाति (अजजा./अजा./अपिव/अना.) :– ....

13. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :–

1. .... 2 .... 3. ....

4. .... 5. .... 6. ....

8. .... 8. .... 9. ....

10. .... 11. .... 12. ....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पूरा नाम. ....

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ, कि मैंने विज्ञापित में पात्रता शर्तों को पढ़ लिया है, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां पूर्ण और सत्य है। त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण असत्य जानकारी प्रस्तुत करने पर नियमानुसार मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी। गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा । तथा चयन/नियुक्ति बिना नोटिस के दर्ज की जायेगी।

स्थान ....

दिनांक ....

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

पूरा नाम ....